

अनुदान संख्या 35 - राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण
GRANT No. 35-TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	Charged-	34394,08,00	29594,07,94	-4800,00,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			4800,00,06
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	69174,09,00	77266,11,00	71558,09,86 -5708,01,14
पूरक	Supplementary	8092,02,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			6358,02,34
पूंजीगत:	Capital:			
प्रभारित-	Charged-			
मूल	Original	6625,00,00	8825,00,00	7824,06,37 -1000,93,63
पूरक	Supplementary	2200,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1000,93,63

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	3439408.00	2959407.94	2959407.94
पु.	R.	-480000.06		

(I) “योजनेतर अनुदान - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अधीन अनुदान” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “स्थानीय निकायों के लिए अनुदान” - 132038.60 लाख रु. की बचत (702685.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;

(खा) “शिक्षा क्षेत्र के लिए सहायता अनुदान” - 63410.50 लाख रु. की बचत (291545.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;

(गा) “स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सहायता अनुदान” - 57347.50 लाख रु. की बचत (194431.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;

(घा) “सड़कों तथा सेतुओं के रख-रखाव के लिए सहायता अनुदान” - 85876.50 लाख रु. की बचत (425000.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;

(ङ) “सार्वजनिक भवनों के रख-रखाव के लिए सहायता अनुदान - 105257.00 लाख रु. की बचत (204700.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;

(चा) “वनों के रख-रखाव के लिए सहायता अनुदान” - 3113.52 लाख रु. की बचत (24563.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;

(छा) “विरासत के संरक्षण के लिए सहायता अनुदान” - 2193.22 लाख रु. की बचत (20107.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई; और

(जा) “राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सहायता अनुदान” - 44577.87 लाख रु. की बचत (258192.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत बचतें कुछ राज्यों द्वारा बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी न किए जाने के कारण हुई।

(I) Under “Non-Plan Grants-Grants under the Proviso to Article 275(1) of the Constitution” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Grants for Local Bodies” – saving of Rs.132038.60 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.702685.00 lakhs);

(B) “Grants-in-aid for Education Sector” – saving of Rs.63410.50 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.291545.00 lakhs);

(C) “Grants-in-aid for Health Sector” – saving of Rs.57347.50 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.194431.00 lakhs);

(D) “Grants-in-aid for Maintenance of Roads and Bridges” – saving of Rs.85876.50 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.425000.00 lakhs);

(E) “Grants-in-aid for Maintenance of Public Buildings” – saving of Rs.105257.00 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.204700.00 lakhs);

(F) “Grants-in-aid for Maintenance of Forests” – saving of Rs.3113.52 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.24563.00 lakhs);

(G) “Grants-in-aid for Heritage Conservation” – saving of Rs.2193.22 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.20107.00 lakhs); and

(H) “Grants-in-aid for States Specific Needs” – saving of Rs.44577.87 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.258192.00 lakhs).

Savings under the above eight heads were due to non-fulfillment of conditions laid down by Twelfth Finance Commission by some State Governments.

2. उपर्युक्त बचतें “योजनेतर अनुदान - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अधीन अनुदान - आपदा राहत निधि को अंशदान’ के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रति संतुलित हो गई - 13814.65 लाख रु. का अधिक व्यय (365371.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) राज्यों को अधिक निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (570801.14 लाख रु.) दिसम्बर, 2009 और मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 809202.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 71 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (635802.34 लाख रु.) भी कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

2. The above savings were partly offset by excess under “Non-Plan Grants – Grants under the Proviso to Article 275(1) of the Constitution – Contribution to Calamity Relief Fund” – excess of Rs.13814.65 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.365371.00 lakhs) was due to release of more funds to State Governments.

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.570801.14 lakhs) constituted 71 percent of the supplementary grants of Rs.809202.00 lakhs obtained in December, 2009 and March, 2010 and 7 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (Rs.635802.34 lakhs) also exceeded the overall savings.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष मुख्य शीर्ष “2075” विविध सामान्य सेवाएं	Head Major Head “2075” Miscellaneous General Services			
मू.	O.	550000.00		
पु.	R.	-214919.07	335080.93	335080.93
मुख्य शीर्ष “2245” प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	Major Head “2245” Relief on Account of Natural Calamities			
मू.	O.	500000.00		
पू.	S.	186000.00	576151.90	642151.90 +66000.00
पु.	R.	-109848.10		

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत-
Saving-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष
मुख्य शीर्ष "3601"
राज्य सरकारों को
सहायता अनुदान

Head
Major Head "3601"
Grants-in-aid to State
Governments

मू.	O.	5834909.00	6147075.83	6146077.03	-998.80
पू.	S.	623202.00			
पु.	R.	-311035.17			

(I) 40000.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "3601" - राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) "चेन्नई में विलवणीकरण संयंत्र के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता" - 30000.00 लाख रु. तमिलनाडु की राज्य सरकार द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण थे।

(खा) "बिना बैंक वाले ब्लॉकों में बैंक शाखाएं खोलने के लिए अवसंरचना सहायता संबंधी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता" - 10000.00 लाख रु. संबंधित मंत्रालयों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2245" - "सामान्य - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता - गंभीर स्वरूप की आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता" - 250000.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 120000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 370000.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, आईएमजी/एचएलसी द्वारा कुछ राज्य सरकारों को संस्तुत कम सहायता दिए

(I) Provision of Rs.40000.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under Major Head "3601" - "Grants for State Plan Schemes - Block Grants" - under the following heads:-

(A) "Additional Central Assistance for Desalination Plant at Chennai" - Rs.30000.00 lakhs - due to non-submission of utilisation certificate by the State Government of Tamil Nadu.

(B) "Additional Central Assistance for infrastructure support for opening bank branches in unbanked blocks" - Rs.10000.00 lakhs - due to non-receipt of proposal from the concerned Ministry.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2245" - "General - Assistance to State from National Calamity Contingency Fund - Assistance to State from National Calamity Contingency Fund for Calamities of severe nature" - the original provision of Rs.250000.00 lakhs was augmented to Rs.370000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.120000.00 lakhs which, however,

जाने के कारण 43848.10 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष “3601” - “केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - आरक्षित निधियों को अंतरण” - 483200.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं जो, तथापि, निधि के अंतर्गत प्राप्ति की वसूली में कमी आने के कारण 144703.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(III) मुख्य शीर्ष “2075” - “अशोध्य कर्जे बट्टे खाते डाला जाना - राज्य सरकारों को दिए गए कर्जों को बट्टे - खाते डाला जाना” के अंतर्गत 214919.07 लाख रु. की बचत 550000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में ऋण माफी के लिए राज्य सरकारों के कम संख्या में योग्य पाए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “3601” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “योजनेतर अनुदान - सामाजिक सेवाएं - धार्मिक स्थलों, मंदिरों आदि का रख-रखाव - स्वर्ण मंदिर परिसर के विकास के लिए सहायता” - 2415.00 लाख रु. की बचत (2750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गृह मंत्रालय से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) “राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान” -

(क) “सामान्य केन्द्रीय सहायता” - 166856.01 लाख रु. की बचत (1911061.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) “विशेष केन्द्रीय सहायता - पर्वत क्षेत्र” - 1781.95 लाख रु. की बचत (27200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

remained unutilised to the extent of Rs.43848.10 lakhs - due to less assistance recommended by IMG/HLC to some State Governments.

(B) Major Head “3601” - “Grants for State Plan Schemes - Transfer to Reserve Funds - Transfer to National Investment Fund” - funds of Rs.483200.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.144703.00 lakhs - due to shortfall in realisation of receipt under the fund.

(III) Under Major Head “2075” - “Irrecoverable Loans Written Off - Loans to State Governments Written Off” - saving of Rs.214919.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.550000.00 lakhs) was due to less number of State Governments found eligible for debt waiver.

(IV) Under Major Head “3601” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Non-Plan Grants - Social Services - Upkeep of Shrines, Temples etc. - Assistance for Development of Golden Temple Complex” - saving of Rs.2415.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2750.00 lakhs) was due to receipt of less proposal from Ministry of Home Affairs.

(B) “Grants for State Plan Schemes - Block Grants” -

(a) “Normal Central Assistance” - saving of Rs.166856.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1911061.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from some State Governments.

(b) “Special Central Assistance - Hill Areas” - saving of Rs.1781.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.27200.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from the Planning Commission.

- (ग) “त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम” - 19394.00 लाख रु. की बचत (35000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के राज्य योजना से केन्द्रीय योजना में अंतरित होने के कारण हुई।
- (घ) “किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम” - 11321.77 लाख रु. की बचत (16277.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महिला और बाल विकास मंत्रालय से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।
- (ङ) “त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य जल संसाधन कार्यक्रम” - 117560.53 लाख रु. की बचत (970000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जल संसाधन मंत्रालय से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।
- (च) “राष्ट्रीय ई-अभिशासन कार्य योजना” - 35168.40 लाख रु. की बचत (46937.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।
- (छ) “जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण अभियान” - 549459.90 लाख रु. की बचत (1161862.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित मंत्रालयों से कम/अधूरे प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।
- (ज) “सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम” - 12814.00 लाख रु. की बचत (33698.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केरल की राज्य सरकार से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (झ) “वन क्षेत्र को बहाल करने और पुनः वनरोपण के त्वरित कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता” - 41834.00 लाख रु. की बचत (50000.00 लाख रु.
- (c) “Accelerated Power Development Programme (APDRP)” – saving of Rs.19394.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.35000.00 lakhs) was due to shifting of the scheme from State Plan to Central Plan.
- (d) “Nutrition Programme for Adolescent Girls (NPAG)” – saving of Rs.11321.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16277.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Ministry of Women and Child Development.
- (e) “Accelerated Irrigation Benefit Programme and other Water Resources Programme” – saving of Rs.117560.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.970000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the Ministry of Water Resources.
- (f) “National E-Governance Action Plan (NEGAP)” – saving of Rs.35168.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.46937.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the Ministry of Information Technology.
- (g) “Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission” – saving of Rs.549459.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1161862.00 lakhs) was due to receipt of less/incomplete proposals from the concerned Ministries.
- (h) “Tsunami Rehabilitation Programme (TRP)” – saving of Rs.12814.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.33698.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificate from the State Government of Kerala.
- (i) “Additional Central Assistance for Accelerated Programme of restoration and Regeneration of Forest Cover” – saving of

के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के राज्य योजना से केन्द्रीय योजना को अंतरित किए जाने के कारण हुई।

Rs.41834.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.50000.00 lakhs) was due to shifting of the scheme from State Plan to Central Plan.

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (273282.63 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 623202.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

4.(I) The above savings were partly (Rs.273282.63 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.623202.00 lakhs under Major Head "3601" – under the following heads:-

(का) "योजनेतर अनुदान - संसाधनों में अंतर दूर करने के लिए अनुदान - अरुणाचल प्रदेश की सरकार को एकमुश्त अनुदान" - 9999.00 लाख रु.।

(A) "Non Plan Grants – Grants to cover gap in Resources - One time Grant to Government of Arunachal Pradesh" – Rs.9999.00 lakhs.

(खा) "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान" -

(B) "Grants for State Plan Schemes – Block Grants" –

(क) "अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता" - 230774.13 लाख रु.।

(a) "Additional Central Assistance for Other Projects" – Rs.230774.13 lakhs.

(ख) वर्ष 2005-06 की बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हुई परिसम्पत्तियों का दीर्घकालिक पुनर्निर्माण" - 32509.50 लाख रु.।

(b) "Long Term Reconstruction of Assets Damaged during 2005-06 Floods" – Rs.32509.50 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" – "Grants for State Plan Schemes – Block Grants" – under the following heads:-

(का) "बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता" - 206218.66 लाख रु. का अधिक व्यय (187500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) "Additional Central Assistance for externally aided Projects" – excess of Rs.206218.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.187500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards externally aided projects.

(खा) "विशेष योजना सहायता" - 351773.30 लाख रु. का अधिक व्यय (110000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 570200.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

(B) "Special Plan Assistance" – excess of Rs.351773.30 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.570200.00 lakhs including supplementary grant of Rs.110000.00 lakhs) was due to receipt of more proposals from Planning Commission.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (100093.63 लाख रु.) दिसम्बर, 2009 और मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 220000.00 लाख रु. के पूरक विनियोग का 45 प्रतिशत और कुल स्वीकृत विनियोग का 11 प्रतिशत थीं।

5. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.100093.63 lakhs) constituted 45 percent of the supplementary appropriation of Rs.220000.00 lakhs obtained in December, 2009 and March, 2010 and 11 percent of the total sanctioned appropriation.

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Saving occurred under the following major head:-

कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
---------------------------------------	--	-----------------

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "7601"	Major Head "7601"			
राज्य सरकारों को कर्ज तथा उधार	Loans and Advances to State Governments			
मू.	O.	662500.00	782406.37	782406.37
पू.	S.	220000.00		
पु.	R.	-100093.63		

(I) 100000.00 लाख रु. का पूरक विनियोग "अर्थोपाय अग्रिम - अन्य अर्थोपाय अग्रिम" के अंतर्गत राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Supplementary appropriation of Rs.100000.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under "Ways and Means Advances - Other Ways and Means Advances" - due to non-receipt of proposals from State Governments.